UPAZ050008092022 **Execution/1600007/2022**

न्यायालय सिविल जज(सी०डि०), आजमगढ़।

इजरा वाद संख्या-07/2022

मूलवाद सं० 420/2015

राम प्रवेश बनाम श्याम नरायन सिंह

दिनांकः-26.04.2024

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थनापत्र 16 ग 2 डिक्रीदार राम प्रवेश द्वारा इस आशय का दिया गया है कि उपरोक्त इजरा वाद में मद्यून डिग्री द्वारा आदेशित धनराशि 137900/- डिक्री के अनुपालन में हम डिक्रीदार के बचत खाता सं० 511032010964858 में दिनांक 23.04.2024 को भुगतान कर दिया है। हम डिक्रीदार उक्त धनराशि पूर्ण संतुष्टि के रूप में स्वीकार करते हैं। अब हम डिक्रीदार का मद्यून डिक्री से कोई बकाया धनराशि शेष नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त अजरा की कार्यवाही पूर्ण संतुष्टि के आधार पर समाप्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः डिक्रदीर द्वारा प्रार्थनापत्र 16 ग 2 स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

सुना व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

प्रस्तुत इजरा वाद न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या 420/2015 में पारित निर्णय दिनांकित 26.03.2022 का अनपालन कराये जाने हेतु संस्थित किया गया था। डिक्रीदार द्वारा प्रार्थनापत्र में कथन किया गया मद्यून डिक्री द्वारा डिक्रीत धनराशि मुव० 137900/- हम डिक्रीदार को अदा कर दी है। हम डिक्रीदार संतुष्ट है। अतः इजरा कार्यवाही को पूर्ण संतुष्टि के आधार पर समाप्त किये जाने की याचना की है। आधार पर्याप्त है। इजरा वाद पूर्ण सन्तुष्टि के आधार पर समाप्त किये जाने योग्य है। तदानुसार प्रार्थनापत्र 16 ग 2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तदानुसार प्रार्थनापत्र 16 ग 2 स्वीकार किया जाता है। इजरा वाद संख्या 07/2022 राम प्रवेश बनाम श्याम नरायन सिंह की कार्यवाही पूर्ण सन्तुष्टि के आधार पर समाप्त की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अनुपम कुमार त्रिपाठी)
सिविल जज (सी०डि०),
आजमगढ़।
JO Code-UP 2223